XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
राजस्व पुनरीक्षण वाद सं0–71/2008
(धारा 21 बी0पी0पी0एच0टी0एक्ट)

श्री सीता राम दास, पिता–स्व0 महादेव मंडल, सा0–गीयागाछी थाना– मुफस्सिल (सदर), जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक।

बनाम

1. सदानन्द साह
2. सुशील साह
दोनों पिता– पुजाई साह एवं मसोमात सीता देवी, सा0– मंझली हाट, थाना– मुफस्सिल (सदर), जिला–पूर्णियाँ .....विपक्षी।

आ दे श

यह पुनरीक्षण वाद अंचल अधिकारी, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक 03.02.88 को वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या 28/84–85 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 17.04.2010 को रीभिजन वाद सं0 36/01 दायर किया गया था। जो दिनांक 11.09.2001 को खारिज होने के विरूद्ध पुनः इसी न्यायालय में दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि पूर्व में इस कोर्ट द्वारा वाद को खारिज कर दिया गया था। मुख्य विन्दु यह है कि पर्चाधारी प्रश्रय प्राप्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। पर्चाधारी व्यवसायी हैं। वह मंझली हाट पर व्यवसाय करता है। पर्चाधारी मूलतः कसबा का निवासी है। जिसका नाम कसबा के मतदाता सूची में अंकित है। जिसके साक्ष्य के रूप में अंचल अधिकारी कसबा द्वारा लिखित सूचना आवेदन पत्र संलग्न है।

विपक्षी उपस्थित हैं। विपक्षी का कथन है कि आवेदक द्वारा तीन बार इस न्यायालय में रिभिजन वाद दायर किया गया है, जिसमें 51/2000 धारा–3 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट एवं 97/2001 दोनों में सीताराम के विरूद्ध अदेश पारित है, उसमें वाद संख्या–71/2008 इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। वासगीत पर्चा सीता देवी विपक्षी के माँ के नाम से निर्गत है। साथ ही विपक्षी का यह भी कथन है कि एक ही वाद बार–बार दायर नहीं हो सकता है। मसो0 सीता देवी मंझली चौक का निवासी है।

मो0 सीता देवी को आवेदक के सहमति से ही खाता 259, खेसरा संख्या 1194, रकवा 0.02 डिसमल में घर बनाया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को दिनांक 26.07.2010 को सुना

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

गया एवं दिनांक 29.11.2010 को न्यायालय में विचार किया गया। दोनों पक्षों को सुनने एवं अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ